आयुष दवाखाना की स्थापना हेतु सक्षम सहकारी चीनी मिल समितियां

माह–मई, 2018

क्र.सं.	नाम जनपद	नाम चीनी मिल समिति
1	2	3
1	सहारनपुर	सरसावां, ननौता
2	मुजफ्फरनगर	मोरना
3	बागपत	बागपत, रमाला
4	बुलन्दशहर	अनूपशहर
5	जे.पी.नगर	गजरौला
6	बिजनौर	नजीबाबाद
7	बदायूं	बदायूं
8	बरेली	सेमीखेड़ा
9	पीलीभीत	पूरनपुर, बीसलपुर
10	शाहजहांपुर	तिलहर
11	अलीगढ़	साथा
12	फर्रूखाबाद	कायमगंज
13	सीतापुर	महमूदाबाद
14	लखीमपुर	सम्पूर्णानगर, बेलरायां
15	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
16	मऊ	घोसी
17	बलिया	रसड़ा
18	सन्तरविदासनगर	औराई
19	रामपुर	बिलासपुर
20	बहराइच	नानपारा
कुल योग–		24 (चौबीस)

LLN-DELL-

आयुष दवाखाना की स्थापना हेतु सक्षम गन्ना समितियों के नाम

माह–मई, 2018

क्र. सं.	नाम परिक्षेत्र	गन्ना समितियों की संख्या	नाम जनपद	गन्ना समितियों का नाम
1	2	3	4	5
1	सहारनपुर	14	सहारनपुर	सहारनपुर, देवबन्द, सरसावां, टोडरपुर,
			मुजफ्फरनगर	तिताबी, मन्सूरपुर, खतौली, रोहानांकला, मोरना, रामराज, बुढ़ाना
			शामली	शामली, थानाभवन, ऊन।
2	मेरठ	13	मेरठ	मेरठ, मोहिउद्दीनपुर, दौराला, मलियाना, सकौतीटांडा, मवाना
			गाजियाबाद	सिम्भावली, मोदीनगर, हापुड़, धौलाना
			बागपत	बागपत, मलकपुर
			बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
3	मुरादाबाद	12	मुरादाबाद	मुरादाबाद, बिलारी
			जे0पी0नगर	अमरोहा
			रामपुर	बिलासपुर, मिलक, स्वार
			बिजनौर	नजीबाबाद, स्योहारा, धामपुर, बिजनौर, नगीना, चांदपुर
4	बरेली	12	बरेली	बरेली, बहेड़ी, नवाबगंज, मीरगंज, भुड़िया–अमरिया
			शाहजहांपुर	रोजा, पुवायां
			पीलीभीत	पीलीभीत, मझोला, पूरनपुर, बीसलपुर
			बदायूं	बदायूं
5	लखनऊ	18	हरदोई	हरदोई गेट, रूपापुर
			सीतापुर	सीतापुर, हरगांव, महोली, बिसवां, रामगढ़
			लखनऊ	ऐशबाग
			रायबरेली	रायबरेली
			लखीमपुर	सम्पूर्णानगर, गोला, पलिया, ऐरा, लखीमपुर, भीरा, जे0बी0गंज, मोहम्मदी, अरनीखाना
6	फैजाबाद	5	बाराबंकी	बाराबंकी, बुढ़वल
			फैजाबाद	गनौली, मसौधा
			सुल्तानपुर	बेलवई
7	देवीपाटन	8	गोण्डा	गोण्डा, नवाबगंज, करनैलगंज, मनकापुर
			बहराइच	जरवलरोड
			बलरामपुर	बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला
8	गोरखपुर	14	गोरखपुर	पिपराइच, सरदारनगर
			बस्ती	बस्ती, गोविन्दनगर, गौर, बभनान, मुण्डेरवा, खलीलाबाद, टिनिच, विक्रमजोत
			महराजगंज	सिसवाबाजार, घुघुली, फरेन्दा
			सिद्धार्थनगर	बढ़नी
9	देवरिया	13	देवरिया	बैतालपुर, प्रतापपुर
			कुशीनगर	पडरौना, रामकोला–के., रामकोला–पी., छितौनी, खड्डा, कप्तानगंज, सेवरही, तरयासुजान, कसया, हाटा
			आजमगढ़	बूढ़नपुर
कुल योग–		109		

LLN-DELL-

उक्त कल्याणकारी कार्य हेतु आयुष विभाग से चिकित्सकों एवं नर्स की तैनाती होने के पश्चात उनके द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जिसके लिए इस पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित 109 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 24 सहकारी चीनी मिल समितियों के कार्यालय प्रांगण में आयुष विभाग के चिकित्सक एवं स्टॉफ हेतु एक उपयुक्त कक्ष आवंटित करके उनके लिए कम से कम एक स्वच्छ बाथरूम, पंखा व कूलर, कुर्सी–मेज, पेयजल, कम्प्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था गन्ना/चीनी मिल समिति द्वारा अपने संसाधनों से कराया जायेगा।

अतः प्रसंगगत प्रकरण में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुपालन में कृपया इस पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित 109 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 24 सहकारी चीनी मिल समितियों को उक्तानुसार व्यवस्था एवं कार्यवाही हेतु अपने स्तर से कार्यान्वित कराते हुए इसका कुशल सम्पादन भी करायें।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यह एक कल्याणकारी योजना है जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए एवं जनसामान्य का सहयोग अपेक्षित है।

संलग्नकः—यथोक्त।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश।
17—न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
Email-samiticamp@gmail.com

पत्रांक 140 /82/सी/समिति/लखनऊःदिनांक 11-6-2018

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/उप निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाँ।

कृपया आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुपालन में आयुष विभाग एवं गन्ना विकास विभाग के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के कार्यालय प्रांगण में आयुष विभाग के चिकित्सक एवं स्टॉफ हेतु एक कक्ष आवंटित करके उनके लिए कम से कम एक स्वच्छ बाथरूम, पंखा व कूलर, कुर्सी—मेज, पेयजल, कम्प्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था गन्ना/चीनी मिल समिति द्वारा अपने संसाधनों से कराये जाने के सम्बन्ध में सक्षम समितियों की सूचना दूरभाष पर आपसे प्राप्त की गई।

आपसे हुई वार्ता के क्रम में आयुष विभाग के चिकित्सक एवं स्टॉफ हेतु एक कक्ष, एक स्वच्छ बाथरूम, पंखा व कूलर, कुर्सी—मेज, पेयजल, कम्प्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था कराने वाली सक्षम गन्ना/चीनी मिल समितियों की सूची उ.प्र. शासन को प्रेषित की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा आयुष विभाग के चिकित्सकों, नर्स एवं आवश्यक दवाओं के साथ गन्ना समितियों एवं चीनी मिल समितियों के माध्यम/सहयोग से निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराये जाने की योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। आयुष विभाग एवं गन्ना विकास विभाग के समन्वय से प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के मूल उद्देश्यों के अन्तर्गत गन्ना/चीनी मिल समितियों द्वारा सामाजिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्थक प्रयास किए जाने की व्यवस्था पूर्व से ही प्रावधानित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के अन्तर्गत सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों की सहभागिता स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से गन्ना/चीनी मिल समितियों को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय गन्ना कृषकों, उनके परिवारों, समिति अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निकटवर्ती सभी जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधा उनके निवास के निकट ही निःशुल्क रूप से उपलब्ध होगी। प्रस्तावित कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति गन्ना/चीनी मिल समितियों के स्तर से की जानी है।